


24/05/24  
अध्य कार्य/सुनाव कार्य में  
दिनांक. 3/5/24 को देश

3/5/24

पयावली आज पेशी में ली गई। गत आदेशिका क्रि.  
18/04/2024 के क्रम में वाद पक्ष निर्णित किया जाता  
है कि चक्र 15 RP खाता जं. 115/101 जं. लं. 2072-75  
में अंकित स्वातकार विद्या देवी पत्नी मनफूल जाति  
बिश्नोई निवासी मैनावाली के स्थान पर विद्या देवी  
पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी जोरावरपुरा डुराली  
के आदेश दिए जाते हैं। वादीगण अधिवक्ता द्वारा  
अपनी बहस में कथन किया जा चुका है की स्वातकार  
विद्या देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादी  
सं. 1 ता 3 संयोजित वाद शीर्षक है हमसिर फौत  
स्वातकार के वारिसान को स्वातकार काश्तकार  
घोषित किया जावे। पयावली अवलोकन किया गया  
आदेश है कि चक्र 15 RP प. नं. 136/375 मु. नं. 50  
क्रि. नं. 13/0177, 14/0253 तादादी 0.430 है. का वादी  
सं. 1 परमेश्वरी वादी सं. 2 गिरदावरी व वादी सं.  
3 शोकोरी को ब्रह्मि वर के स्वातकार काश्तकार  
घोषित किरा जाते हैं व इसी अनुसार स्वातकार  
विद्या देवी का नाम कणमजन करने के आदेश  
दिए जाते हैं। तहसिलका हनुमानगढ उक्त आदेशानुसार  
राजस्व रिकॉर्ड में अमलकरामदगी किया जाना  
सुनिश्चित करावे। भूमि किस्म यवा नहरी-वाराणी  
गौर स्वातकारी आदि परिवर्तित नही हो जावे। किसी  
सकाम न्यायालय का स्फगन या वाद विवाद नही हो  
व शकवा रहन मुक्त हो तो निर्णय ही पालना ही  
जावे। पर्ची डिक्री अलग से जारी हो। निर्णय आज  
दिनांक 3/05/2024 को करे सजलाज सुनाया गया।  
पयावली नंबर ले क्रम ही जाकर काविल बफतर  
ही जाती है)

  
रक्षायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ